"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 सितम्बर 2002—भाद्र 16, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-79/2002/वाक/पांच (98).—चूंकि राज्य शासन के विचार से छत्तीसगढ़ वृत्ति कर नियम, 1995 में संशोधन करना एवं तत्काल प्रवृत्त करना आवश्यक है;

अतएव, छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कथित नियम में राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

संशोधन

उक्त कथित नियमों में नियम 21-क के वर्तमान पाठ के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा :—

"परन्तु वृत्ति कर संशोधन अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) के पूर्व पारित आदेश के विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत निगरानी हेतु आवेदन 31 दिसम्बर, 2002 को या इसके पूर्व प्रस्तुत किया जावेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-79/2002/वाक/पांच (98).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-79/2002/वाक/पांच (98), दिनांक 7-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 7th September 2002

NOTIFICATION

No. F-10-79/2002/CT/V (98).—Whereas, the State Government considers that the following amendments in the Chhattisgarh Vritti Kar Niyam, 1995 should be made and brought in to force at once;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 28 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995) the State Government hereby makes the following further amendments in the said rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules in rule 21-A after present text following proviso shall be added :—

"Provided that an application for revision against an order passed, prior to Vritti Kar Sanshodhan Adhyadesh, 2001 (No. 9 of 2001), under the provision of the Act, shall be made on or before 31st December, 2002".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.